



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 8—जून 14, 2013 (ज्येष्ठ 18, 1935)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 8—JUNE 14, 2013 (JYAISTHA 18, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2013

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.7/सीएमडी/2013--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः:

1. मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 30 में, स्पष्टीकरण सं. (2) के लिये, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(2) तुलन पत्रेतर मदें

क. सामान्य

आ.वि. कंपनियां कुल जोखिम भारित तुलन पत्रेतर ऋण एक्सपोजर की गणना बाजार संबंधित जोखिम भार राशि और बाजार से इतर तुलन पत्रेतर मदों के रूप में करेंगी। तुलन पत्रेतर मद की जोखिम-भारित राशि जिससे ऋण एक्सपोजर बढ़ जाता है, की गणना द्वि-चरण पद्धति से की जाएगी:

1. लेनदेन की काल्पनिक राशि को निर्दिष्ट ऋण संपरिवर्तनीय कारक से गुणा करके या मौजूदा एक्सपोजर विधि को लागू करके ऋण समतुल्य राशि में संपरिवर्तित किया जाता है; और
- II. ज्ञात ऋण समतुल्य राशि को लागू जोखिम भार से गुणा किया जाता है, यथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के एक्सपोजर का शून्य प्रतिशत, बैंकों को एक्सपोजर के लिये 20 प्रतिशत और अन्य के लिये 100 प्रतिशत होगा।

ख. बाजार से इतर तुलन पत्रेतर मदें

बाजार से इतर तुलन पत्रेतर मद के अनुसार ऋण समतुल्य राशि का निर्धारण उस लेनदेन विशेष की संविदागत राशि को संबंधित ऋण संपरिवर्तित कारक (सीसीएफ) से गुणा करके किया जाएगा।

मद सं.	मद विवरण	ऋण संपरिवर्तित कारक
i.	आवास ऋणों/अन्य ऋणों की असंवितरित राशि	50
ii.	वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	100
iii.	शेयर/डिबेंचर हमीदारी दायित्व	50
iv.	अंशतः-भुगतान हुए शेयर/डिबेंचर	100
v.	बिल बट्टा/पुनः बट्टा	100
vi.	किये गये पट्टा संविदाएं किंतु निष्पादन अभी होना है	100
vii.	इस प्रकार बिक्री और पुनः क्रय करार और आस्ति बिक्री, जिसमें ऋण जोखिम आ.वि. कंपनी पर रहे	100
viii.	वायदा आस्ति क्रय, वायदा जमा और अंशता भुगतान हुए शेयर और प्रतिभूतियां जो पूर्व में की गई कुछ प्रतिबद्धताओं से संबंधित हों	100
ix.	आ.वि. कंपनी द्वारा संपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों को ऋण पर देना या प्रतिभूतियों की प्रविष्टि करना जहां वे रेपो ढंग से लेनदेन किये गये हों	100
x.	अन्य प्रतिबद्धताएं (जैसे औपचारिक एवजी सुविधाएं और ऋण सीमा (परियोजना ऋणों सहित)) जिनकी मूलतः परिपक्वता एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक	20 50
xi.	समान प्रतिबद्धताएं जिन्हें आ.वि. कंपनी द्वारा बिना कोई पूर्व	0

	नोटिस दिये बिना, किसी भी समय बिना शर्त निरस्त किया जा सकता है या ऋणकर्ता की ऋण क्षमता कम होने के कारण स्वतः निरस्त किया जा सकता है।	
xii.	अधिग्रहीत किये संस्थान की बहियों में वित्त आहरण	
	(क) बिना शर्त वित्त आहरण	100
	(ख) सशर्त वित्त आहरण	50
	टिप्पणी: चूंकि प्रतिपक्षी एक्सपोजर से जोखिम भार निर्धारित होगा, यह सभी ऋणकर्ताओं के संबंध में 100 प्रतिशत या शून्य प्रतिशत यदि सरकारी प्रतिभूति के तहत हो।	
xiii.	मानक आस्ति लेनदेनों के प्रतिभूतिकरण के लिये चल निधि की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता	100
xiv.	तृतीय पक्ष द्वारा दिये मानक आस्ति लेनदेनों के प्रतिभूतिकरण के लिये द्वितीय हानि ऋण संवर्धन	100
xv.	अन्य फुटकर देयताएं (उल्लिखित की जाएं)	50

टिप्पणी:

- i. संपरिवर्तनीय कारक लागू करने से पहले नकद मार्जिन/जमा राशि की कटौती कर ली जाएगी।
- ii. जब बाजार इतर तुलन पत्रेतर मद गैर-आहरित या आंशिक गैर-आहरित निधि-आधारित सुविधा हो, तो गैर-आहरित प्रतिबद्धता राशि को तुलन पत्रेतर गैर-बाजार संबंधित ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय शामिल किया जाए, यह प्रतिबद्धता का अधिकतम अप्रयुक्त भाग होता है जिसे परिपक्वता की शेष अविध के दौरान आहरित किया जा सकता है। प्रतिबद्धता का आहरित कोई भी भाग आ.वि. कंपनी के तुलन पत्र ऋण एक्सपोजर का हिस्सा बनता है।

उदाहरण के लिये:

एक बड़ी आवास परियोजना के लिये 100 करोड़ रु. के सावधि ऋण की मंजूरी दी गई जिसे तीन वर्ष की अवधि में चरणबद्ध आधार पर आहरित करना है। संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार तीन चरणों में आहरण की अनुमति है - चरण-1 में 25 करोड़ रु., चरण-2 में 25 करोड़ रु. और चरण-3 में 50 करोड़ रु., जिसमें ऋणकर्ता को कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चरण-2 और 3 में आहरण के लिये आ.वि. कंपनी की स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यदि ऋणकर्ता ने चरण-1 में 10 करोड़ रु. का आहरण कर लिया हो, तब आहरित नहीं किये गए भाग को चरण-1 के तहत ही माना जाएगा अर्थात् यह 15 करोड़ रु. होगा। यदि चरण-1 को एक वर्ष में पूरा करना निर्धारित किया गया है, तो सीसीएफ 20 प्रतिशत होगा और यदि यह एक वर्ष से अधिक होगा तो सीसीएफ 50 प्रतिशत होगा।

ग. बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मदें

- i. आ.वि. कंपनियों को जोखिम भारित तुलन पत्रेतर ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय सभी बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मदों (ओटीसी व्युत्पन्न और प्रतिभूति वित्त लेनदेन जैसे रेपो/रिवर्स रेपो/सीबीएलओ आदि) को गणना में शामिल करना चाहिए।
- ii. बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मदों का जोखिम भार आ.वि. कंपनी पर संविदा द्वारा निर्दिष्ट नकदी प्रवाह को प्रतिपक्ष की चूक की स्थिति में बदलने वाली लागत होगी। यह अन्य बातों के साथ-साथ संविदा की परिपक्वता और लिखत की दरों की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा।
- iii. बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मदों में शामिल होंगी :
 - क. ब्याज दर संविदाएं - इसमें सिंगल करेंसी ब्याज दर स्वैप, बेसिस स्वैप, वायदा दर करार, और भावी ब्याज दर शामिल हैं;

ख. विदेशी मुद्रा संविदाएं, इसमें स्वर्ण संबंधी संविदाएं - क्रॉस करेंसी स्वैप (क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप सहित), वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी विकल्प शामिल हैं।

ग. ऋण डिफाल्ट स्वैप; और

घ. कोई अन्य बाजार संबंधित संविदाएं जिनके लिये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो जिससे ऋण जोखिम बढ़ता है।

i v. पूंजीगत अपेक्षाओं से छूट निम्नलिखित के लिये अनुमत्य है -

क. विदेशी मुद्रा (स्वर्ण के सिवाय) संविदाएं जिनकी मूलतः परिपक्वता अवधि 14 कैलेंडर दिन या कम हो; और

ख. वायदा पर की गई लिखतें और आप्शंस एक्सचेंज जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट तथा मार्जिन भुगतानों के अधीन होते हैं।

अधिसूचना - सीएमडी

5. केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) को ऐक्सपोजर, व्युत्पन्नी व्यापार के कारण और उनके विरुद्ध बकाया प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (उदाहरणार्थ संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व - सीबीएलओ, रेपोज) प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के लिये शून्य ऐक्सपोजर मूल्य अभ्यर्पित किया जाएगा, जैसे कि यह अनुमानित है कि सीसीपी के अपने प्रतिपक्षकारों को ऐक्सपोजर दैनिक आधार पर पूरी तरह संपार्श्विकीकृत हैं, उसके द्वारा सीसीपी के ऋण जोखिम पूर्ण ऐक्सपोजर हेतु सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं।
6. सीसीपी के पास संपार्श्विक के रूप में दर्ज कॉरपोरेट प्रतिभूतियों के लिये 100 प्रतिशत सीसीएफ लागू किया जाएगा और परिणामी तुलनपत्रेतर ऐक्सपोजर सीपी की प्रकृति के लिये उपयुक्त जोखिम भार अभ्यर्पित करेगा। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के लिये जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा।
7. व्युत्पन्नी लेनदेनों के संबंध में किसी प्रतिपक्षकार को कुल ऋण ऐक्सपोजर की गणना निम्न वर्णित वर्तमान ऐक्सपोजर प्रणाली के अनुसार की जानी चाहिये।

घ. वर्तमान ऐक्सपोजर प्रणाली

किसी बाजार संबंधी तुलनपत्रेतर लेनदेन की ऋण तुल्य राशि वर्तमान ऐक्सपोजर प्रणाली का उपयोग करते हुए गणना किये गये i) वर्तमान ऋण ऐक्सपोजर और ii) ठेके के संभाव्य भावी ऋण ऐक्सपोजर का योग है।

- i. वर्तमान ऋण ऐक्सपोजर किसी एकल प्रतिपक्षकार (उक्त प्रतिपक्षकार के साथ विभिन्न ठेकों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किये जाने चाहिये) के संबंध में सभी ठेकों के सकल सकारात्मक प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य के योग के तौर पर परिभाषित किया गया है। वर्तमान ऐक्सपोजर प्रणाली हेतु इन ठेकों को बाजार को निर्दिष्ट करने के माध्यम से वर्तमान ऋण ऐक्सपोजर की आवधिक गणना अपेक्षित है।
- ii. लिखतों की प्रकृति और अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार निम्नलिखित उपयुक्त वर्धित कारकों द्वारा चाहे ठेका एक शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य रखता हो, इस पर ध्यान दिये बिना इन ठेकों में से प्रत्येक की अनुमानित मूल राशि को बढ़ाने के द्वारा संभाव्य भावी ऋण ऐक्सपोजर निर्धारित किया जाता है।

ब्याज दर संबंधी, विनिमय दर संबंधी और स्वर्ण संबंधी व्युत्पन्नो हेतु ऋण परिवर्तन कारक		
	ऋण परिवर्तन कारक (%)	
	ब्याज दर ठेके	विनिमय दर ठेके एवं स्वर्ण
एक वर्ष और उससे कम	0.50	2.00
एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्षों तक	1.00	10.00
पाँच वर्षों से अधिक	3.00	15.00

- क. मूलधन के बहु विनिमय सहित ठेकों के लिये, वर्धित कारक ठेके में शेष भुगतानों की संख्या द्वारा बढ़ाये जाएंगे।
- ख. उन ठेकों के लिये जो निर्धारित भुगतान तारीखों के अनुसार बकाया ऐक्सपोजर के भुगतान के लिये निर्मित किये गये हैं और जहां शर्तों का पुनर्निर्धारण किया जाता है जैसे कि ठेके का बाजार मूल्य इन निर्धारित तारीखों पर शून्य है, अगली पुनर्निर्धारण तारीख तक अवशिष्ट परिपक्वता समय के समान निर्धारित की जाएगी। हालांकि, ब्याज दर ठेकों के मामले में, जिनकी एक वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वताएं हैं और उपरोक्त मानदंड पूरे करते हैं, सीसीएफ अथवा वर्धित कारक न्यूनतम 1.0 प्रतिशत के अनुसार हो।
- ग. एकल मुद्रा फ्लोटिंग/ फ्लोटिंग ब्याज दर स्वैप हेतु किसी संभाव्य ऋण ऐक्सपोजर की गणना नहीं की जाएगी; इन ठेकों पर ऋण ऐक्सपोजर केवल

उनकी प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किये जाएंगे।

घ. संभाव्य भावी ऐक्सपोजर ऋश्यमान आनुमानिक राशि के बजाय अभावी राशि पर आधारित होगा। उस स्थिति में जब उल्लिखित आनुमानिक राशि को लेनदेन की संरचना द्वारा नियंत्रित अथवा बढ़ाया जाता है, संभाव्य भावी ऐक्सपोजर को निर्धारित करने के लिये अभावी आनुमानिक राशि का उपयोग किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, आवास वित्त कंपनी की ऋण दर से दो गुना आंतरिक दर के आधार पर भुगतानों सहित यूएसडी 1 मिलियन की उल्लिखित आनुमानिक राशि की प्रभावी आनुमानिक राशि यूएसडी 2 मिलियन होगी।

ड. ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) हेतु ऋण परिवर्तन कारक:

“संरक्षण क्रेताओं के लिये संदर्भ आस्ति/देयता में विशेष जोखिम के लिये सीडीएस एक आनुमानिक अल्प स्थिति बनाता है। यह स्थिति 100 का ऋण परिवर्तन कारक और 100 का जोखिम भार आकर्षित करेगी। संभाव्य भावी ऐक्सपोजर के संबंध में वर्धित कारक 10 प्रतिशत (सीडीएस के आनुमानिक मूलधन का) के तौर पर स्थिर किये जा सकते हैं।”

2. मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 32 में, उप-अनुच्छेद की शर्त (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“बशर्ते कि उप-अनुच्छेद के तहत निर्धारित समग्र उच्चतम सीमा के भीतर, किसी आवास वित्त कंपनी का किसी अन्य आवास वित्त कंपनी (इसकी सहायक कंपनी/कंपनियों के अलावा) के शेयरों में निवेश निवेशी कंपनी की ईक्विटी पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

3. मुख्य निर्देशों का अनुच्छेद 37 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
शाखाएं/कार्यालय खोलना

37(1) कोई भी आवास वित्त कंपनी भारत में शाखा अथवा कार्यालय खोलने से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक को शाखा अथवा कार्यालय खोलने के इरादे की लिखित में सूचना देगी।

(2) कोई आवास वित्त कंपनी भारत से बाहर शाखा नहीं खोलेगी।

(3) कोई आवास वित्त कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक से लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना भारत से बाहर प्रतिनिधि कार्यालय नहीं खोलेगी।

अनुमोदन के अनुरोध के लिये आवास वित्त कंपनी से आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी द्वारा शाखा/सहायक/संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय अथवा विदेश में निवेश प्रारंभ करना) निर्देश, 2011 दिनांकित 14 जून, 2011 को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा और निम्नलिखित के अनुसार होगा:-

- (i) संपर्क कार्य, बाजार अध्ययन और अनुसंधान कार्य शुरू करने के उद्देश्य हेतु भारत से बाहर प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की जा सकती है परंतु कोई ऐसी कार्रवाई शुरू नहीं की जाए जिसमें निधि का परिव्यय शामिल हो, बशर्ते यह मेजवान देश में विनियामक द्वारा विनियम के अधीन है। यथा यह परिकल्पित नहीं है कि ऐसा कार्यालय संपर्क कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगा, कोई ऋण व्यवस्था प्रदान नहीं की जाएगी।
- (ii) आवास वित्त कंपनी भारत से बाहर प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा शुरू किये गये कारोबार के बारे में आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करेगी। यदि प्रतिनिधि कार्यालय ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है अथवा ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं, उद्देश्य हेतु दिये गये अनुमोदनों की समीक्षाकृत / वापस मांगे जाएंगे।

4. अनुसूची I का संशोधन

मुख्य निर्देशों की अनुसूची I में, मद 9 के लिये, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

9. शाखाओं/कार्यालयों/प्रतिनिधि कार्यालयों की सं.8

- 9(i) भारत में शाखाओं की संख्या
- 9(ii) भारत में कार्यालयों की संख्या (प्रतिनिधि कार्यालयों सहित)
- 9(iii) भारत से बाहर प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या

एक सूची जिसमें उन स्थानों के नाम और पता सहित संपर्क विवरण दर्शाया गया हो जहां भारत में शाखाएं/भारत में कार्यालय (प्रतिनिधि कार्यालय सहित)/भारत के बाहर प्रतिनिधि कार्यालय स्थित हैं, संलग्न होनी चाहिए।”

5. अनुसूची-II में संशोधन


भाग ई हेतु प्रमुख निर्देशों की अनुसूची II में निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

भाग-ई- भारत गैर-वित्त पोषित एक्सपोजर/तुलन पत्रेतर मदें

मद सं.	मद विवरण	मद कोड	बही मूल्य	ऋण-संपरिवर्तन कारक	समतुल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
i.	आवास ऋणों/अन्य ऋणों की असंवितरित राशि	311		50			
ii.	वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	312		100			
iii.	शेयर/डिबेंचर हमीदारी दायित्व	313		50			
iv.	अंशतः-भुगतान हुए शेयर/डिबेंचर	314		100			
v.	बिल बट्टा/पुनः बट्टा	315		100			
vi.	किये गये पट्टा संविदाएं किंतु निष्पादन अभी होना है	316		100			
vii.	इस प्रकार बिक्री और पुनः क्रय करार और आस्ति बिक्री, जिसमें ऋण जोखिम आ.वि. कंपनी पर रहे	317		100			
viii.	वायदा आस्ति क्रय, वायदा जमा और अंशता भुगतान हुए शेयर और प्रतिभूतियां जो पूर्व में की गई कुछ प्रतिबद्धताओं से संबंधित हों	318		100			
ix.	आ.वि. कंपनी द्वारा संपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों को ऋण पर देना या प्रतिभूतियों की प्रविष्टि करना जहां वे रेपो ढंग से लेनदेन किये गये	319		100			
x.	अन्य प्रतिबद्धताएं (जैसे औपचारिक एवजी	321 322		20 50			

	सुविधाएं और ऋण सीमा (परियोजना ऋणों सहित)) जिनकी मूलतः परिपक्वता एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक	320 (321 + 322)					
xi.	समान प्रतिबद्धताएं जिन्हें आ.वि. कंपनी द्वारा बिना कोई पूर्व नोटिस दिये बिना किसी भी समय बिना शर्त निरस्त किया जा सकता है या ऋणकर्ता की ऋण क्षमता कम होने के कारण स्वतः निरस्त किया जा सकता है	323					
xii.	अधिग्रहीत किये संस्थान की बहियों में वित्त आहरण	324 (325 + 326)					
(क)	बिना शर्त वित्त आहरण	325		100			
(ख)	सशर्त वित्त आहरण	326		50			
	टिप्पणी: चूंकि प्रतिपक्षी एक्सपोजर से जोखिम भार निर्धारित होगा, यह सभी ऋणकर्ताओं के संबंध में 100 प्रतिशत या शून्य प्रतिशत यदि सरकारी प्रतिभूति के तहत हो।						

xiii.	मानक आस्ति लेनदेनों के प्रतिभूतिकरण के लिये चल निधि की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता	327		100			
xiv.	तृतीय पक्ष द्वारा दिये मानक आस्ति लेनदेनों के प्रतिभूतिकरण के लिये द्वितीय हानि ऋण संवर्धन	328		100			
xv.	अन्य फुटकर देयताएं (उल्लिखित की जाएं)	329		50			
कुल गैर-वित्तपोषित एक्सपोजर		300					



आर.वी.वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

National Housing Bank
New Delhi, the 21st March, 2013

No. NHB.HFC.DIR.7 /CMD/2013 - In exercise of the powers conferred by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system to the advantage of the country, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions), shall, with immediate effect be amended in the following manner, namely:-

1. In Paragraph 30 of the principal Directions, for Explanation No. (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) Off-balance sheet items

A. *General*

HFCs will calculate the total risk weighted off-balance sheet credit exposure as the sum of the risk-weighted amount of the market related and non-market related off-balance sheet items. The risk-weighted amount of an off-balance sheet item that gives rise to credit exposure will be calculated by means of a two-step process:

- i. the notional amount of the transaction is converted into a credit equivalent amount, by multiplying the amount by the specified credit conversion factor or by applying the current exposure method; and
- ii. the resulting credit equivalent amount is multiplied by the risk weight applicable, viz, zero percent for exposure to Central Government/State Governments, 20 percent for exposure to banks and 100 percent for others.

B. *Non-market-related off-balance sheet items*

The credit equivalent amount in relation to a non-market related off-balance sheet item will be determined by multiplying the contracted amount of that particular transaction by the relevant credit conversion factor (CCF).

Item No.	Item Description	Credit Conversion Factor
i.	Undisbursed amount of housing loans/other loans	50
ii.	Financial & other guarantees	100
iii.	Share/debenture underwriting obligations	50
iv.	Partly-paid shares/debentures	100
v.	Bills discounted/rediscounted	100
vi.	Lease contracts entered into but yet to be executed	100
vii.	Sale and repurchase agreement and asset sales with recourse, where the credit risk remains with the HFC.	100
viii.	Forward asset purchases, forward deposits and partly paid shares and securities, which represent commitments with certain draw down.	100
ix.	Lending of HFC securities or posting of securities as collateral by HFC, including instances where these arise out of repo style transactions	100
x.	Other commitments (e.g., formal standby facilities and credit lines (including project loans)) with an original maturity of up to one year over one year	20 50
xi.	Similar commitments that are unconditionally cancellable at any time by the HFC without prior notice or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's credit worthiness.	0
Take-out Finance in the books of taking-over institution		
xii.	(a) Unconditional take-out finance	100
	(b) Conditional take-out finance	50
	<i>Note: As the counter-party exposure will determine the risk weight, it will be 100 percent in respect of all borrowers or zero percent if covered by Government guarantee.</i>	
xiii.	Commitment to provide liquidity facility for securitization of standard asset transactions	100
xiv.	Second loss credit enhancement for securitization of standard asset transactions provided by third party	100
xv.	Other contingent liabilities (To be specified)	50

Note:

i. Cash margins/deposits shall be deducted before applying the conversion factor

ii. Where the non-market related off-balance sheet item is an undrawn or partially undrawn fund-based facility, the amount of undrawn commitment to be included in calculating the off-balance sheet non-market related credit exposures is the maximum unused portion of the commitment that could be drawn during the remaining period to maturity. Any drawn portion of a commitment forms a part of HFC's on-balance sheet credit exposure.

For example:

A term loan of Rs. 100 cr is sanctioned for a large housing project which can be drawn down in stages over a three year period. The terms of sanction allow draw down in three stages – Rs. 25 cr in Stage I, Rs. 25 cr in Stage II and Rs. 50 cr in Stage III, where the borrower needs the HFC's explicit approval for draw down under Stages II and III after completion of certain formalities. If the borrower has drawn already Rs. 10 cr under Stage I, then the undrawn portion would be computed with reference to Stage I alone i.e., it will be Rs.15 cr. If Stage I is scheduled to be completed within one year, the CCF will be 20 per cent and if it is more than one year then the applicable CCF will be 50 per cent.

C. Market Related Off-Balance Sheet Items

- i. HFCs should take into account all market related off-balance sheet items (OTC derivatives and Securities Financing Transactions such as repo / reverse repo/ CBLO etc.) while calculating the risk weighted off-balance sheet credit exposures.
- ii. The credit risk on market related off-balance sheet items is the cost to an HFC of replacing the cash flow specified by the contract in the event of counterparty default. This would depend, among other things, upon the maturity of the contract and on the volatility of rates underlying the type of instrument.
- iii. Market related off-balance sheet items would include :
 - a. interest rate contracts - including single currency interest rate swaps, basis swaps, forward rate agreements, and interest rate futures;
 - b. foreign exchange contracts, including contracts involving gold, - includes cross currency swaps (including cross currency interest rate swaps), forward foreign exchange contracts, currency futures, currency options;
 - c. Credit Default Swaps; and
 - d. any other market related contracts specifically allowed by the National Housing Bank which give rise to credit risk.
- iv. Exemption from capital requirements is permitted for -
 - a. foreign exchange (except gold) contracts which have an original maturity of 14 calendar days or less; and
 - b. instruments traded on futures and options exchanges which are subject to daily mark-to-market and margin payments.

- v. The exposures to Central Counter Parties (CCPs), on account of derivatives trading and securities financing transactions (e.g. Collateralised Borrowing and Lending Obligations - CBLOs, Repos) outstanding against them will be assigned zero exposure value for counterparty credit risk, as it is presumed that the CCPs' exposures to their counterparties are fully collateralised on a daily basis, thereby providing protection for the CCP's credit risk exposures.
- vi. A CCF of 100 per cent will be applied to the corporate securities posted as collaterals with CCPs and the resultant off-balance sheet exposure will be assigned risk weights appropriate to the nature of the CCPs. In the case of Clearing Corporation of India Limited (CCIL), the risk weight will be 20 per cent and for other CCPs, the risk weight will be 50 percent.
- vii. The total credit exposure to a counterparty in respect of derivative transactions should be calculated according to the current exposure method as explained below.

D. *Current Exposure Method*

The credit equivalent amount of a market related off-balance sheet transaction calculated using the current exposure method is the sum of i) current credit exposure and ii) potential future credit exposure of the contract.

- i. Current credit exposure is defined as the sum of the gross positive mark-to-market value of all contracts with respect to a single counterparty (positive and negative marked-to-market values of various contracts with the same counterparty should not be netted). The Current Exposure Method requires periodical calculation of the current credit exposure by marking these contracts to market.
- ii. Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of each of these contracts, irrespective of whether the contract has a zero, positive or negative mark-to-market value by the relevant add-on factor indicated below according to the nature and residual maturity of the instrument.

Credit Conversion Factors for interest rate related, exchange rate related and gold related derivatives			
	Credit Conversion Factors (%)		
	Interest Rate Contracts	Rate	Exchange Rate Contracts & Gold
One year or less	0.50		2.00
Over one year to five years	1.00		10.00
Over five years	3.00		15.00

- a. For contracts with multiple exchanges of principal, the add-on factors are to be multiplied by the number of remaining payments in the contract.
- b. For contracts that are structured to settle outstanding exposure following specified payment dates and where the terms are reset such that the market value of the contract is zero on these specified dates, the residual maturity would be set equal to the time until the next reset date. However, in the case of interest rate contracts which have residual maturities of more than one year and meet the above criteria, the CCF or add-on factor is subject to a floor of 1.0 per cent.
- c. No potential future credit exposure would be calculated for single currency floating / floating interest rate swaps; the credit exposure on these contracts would be evaluated solely on the basis of their mark-to-market value.
- d. Potential future exposures should be based on 'effective' rather than 'apparent notional amounts'. In the event that the 'stated notional amount' is leveraged or enhanced by the structure of the transaction, the 'effective notional amount' must be used for determining potential future exposure. For example, a stated notional amount of USD 1 million with payments based on an internal rate of two times the lending rate of the HFC would have an effective notional amount of USD 2 million.

E. *Credit conversion factors for Credit Default Swaps(CDS):*

A CDS creates a notional short position for specific risk in the reference asset/obligation for the protection buyer. This position will attract a Credit Conversion Factor of 100 and a risk weight of 100. The Add on factor may be fixed as 10 percent (of notional principal of CDS) in relation to potential future exposure."

2. In Paragraph 32 of the principal Directions, the proviso to sub-paragraph (1) shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that within the overall ceiling prescribed under Sub-paragraph (1), investment of a housing finance company in the shares of another housing finance company (other than its subsidiary/ies) shall not exceed fifteen per cent of the equity capital of the investee company."

3. Paragraph 37 of the principal Directions shall be substituted by the following, namely:-

Opening of Branches/Offices

37 (1) A housing finance company shall, before opening a branch or an office in India, inform the National Housing Bank in writing of its intention to open a branch or an office.

(2) No housing finance company shall open a branch outside India.

(3) No housing finance company shall open a representative office outside India without obtaining prior approval in writing from the National Housing Bank.

The application from HFC seeking approval would be considered keeping in view the Non-Banking Financial Companies (Opening of Branch/Subsidiary/Joint Venture/Representative Office or Undertaking Investment Abroad by NBFCs) Directions, 2011, dated June 14, 2011, issued by the Reserve Bank of India and shall be subject to the following:-

(i) The representative office can be set up outside India for the purpose of liaison work, undertaking market study and research but not undertaking any activity which involves outlay of funds, provided it is subject to regulation by a regulator in the host country. As it is not envisaged that such office would be carrying on any activity other than liaison work, no line of credit should be extended.

(ii) The HFC shall obtain periodical reports about the business undertaken by the representative office outside India. If the representative office has not undertaken any activity or such reports are not forthcoming, the approvals given for the purpose shall be reviewed/ recalled.

4. Amendment of Schedule I

In Schedule I of the principal Directions, for item 9, the following shall be substituted, namely:-

9. No. of branches/offices/representative offices^B

9(i) No. of branches in India

9(ii) No. of offices in India (including representative offices)

9(iii) No. of representative offices outside India

^bA list showing the names and addresses along with contact details (landline No., e-mail id, etc.) of the places where the branches in India/offices in India (including representative offices) /representative offices outside India are situated, should be enclosed."

5. Amendment of Schedule II

In Schedule II of the principal Directions, for Part E, the following shall be substituted, namely:-

PART-E- Weighted non-funded exposure/off-balance sheet items

[Amount ₹ in lakhs]

Item No.	Item description	Item code	Book Value	Conversion Factor	Equivalent	Risk wt.	Adjusted value
i.	Undisbursed amount of housing loans/ other loans	311		50			
ii.	Financial & other guarantees	312		100			
iii.	Share/debenture underwriting obligations	313		50			
iv.	Partly-paid shares/debentures	314		100			
v.	Bills discounted/rediscounted	315		100			
vi.	Lease contracts entered into but yet to be executed	316		100			
vii.	Sale and repurchase agreement and asset sales with recourse, where the credit risk remains with the HFC.	317		100			
viii.	Forward asset purchases, forward deposits and partly paid shares and securities, which represent commitments with certain draw down.	318		100			
ix.	Lending of HFC securities or posting of securities as	319		100			

	collateral by HFC, including instances where these arise out of repo style transactions						
x.	Other commitments (e.g., formal standby facilities and credit lines, (including project loans)) with an original maturity of up to one year over one year	320 (321 + 322) 321 322			20 50		
xi.	Similar commitments that are unconditionally cancellable at any time by the HFC without prior notice or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's credit worthiness	323			0		
xii.	Take-out Finance in the books of taking-over institution	324 (325 + 326)					
	(a) Unconditional take-out finance	325			100		
	(b) Conditional take-out finance	326			50		
	<i>Note: As the counter-party exposure will determine the risk weight, it will be 100 percent in respect of all borrowers or zero percent if covered by Government guarantee.</i>						
xiii.	Commitment to	327			100		

	provide liquidity facility for securitization of standard asset transactions						
xiv.	Second loss credit enhancement for securitization of standard asset transactions provided by third party	328		100			
xv.	Other contingent liabilities (to be specified)	329		50			
Total non- funded exposures		300					



R. V. Verma
Chairman & Managing Director